फा.सं.1/64(27)/2024-भ.-III
संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पुनः परीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण	
पद का नाम	प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में प्रशिक्षण अधिकारी (महिला प्रशिक्षण) – कार्यालय प्रबंधन के पद हेतु तीन रिक्तियां (अना.-02, अ.जा.-01)
विज्ञापन संख्या	08/2024
रिक्ति संख्या	24040806327

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क) शैक्षणिक** (i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या कार्यालय प्रबंधन या सचिवीय कार्य या सचिवीय सेवाओं या आशुलिपि (अंग्रेजी) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री। या (ii) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या कार्यालय प्रबंधन या सचिवीय कार्य या सचिवीय सेवाओं या आशुलिपि (अंग्रेजी) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। **(ख) अनुभव** (i) अ.यो. – क (i) सहित शिक्षा के उपरांत अध्यापन या उद्योग के संगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या (ii) अ.यो. – क (ii) सहित शिक्षा के उपरांत अध्यापन या उद्योग के संगत क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी समकक्ष या प्रशिक्षण निदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत केन्द्रीय क्षेत्र संस्थानों से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र।

अपनाए गए मानदंड	• संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन प्रस्तुत किए गए आवेदनों में भरी गई जानकारी और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। • आवेदनों की संवीक्षा, इस मामले के लिए आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड और मापदंड तथा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। • संवीक्षा हेतु, ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं और ओआरए के संगत मॉड्यूल में उनका संदर्भ दिए बिना संलग्न किए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। • भर्ती नियमों के अनुसार संगत विषयों में कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा स्वीकार किया गया है। • अतिथि संकाय के रूप में प्राप्त अनुभव को एक मान्य/संगत अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। • अनुभव प्रमाण-पत्र भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। • नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं साक्ष्यांकित सेवा प्रमाण-पत्र या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण श्रेणी' के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया है। • जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस समय-अवधि पर विचार किया गया है जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। • कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है। **नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

संवीक्षा विवरण, अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को दिनांक 16/08/2024 तक अपनी अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 05/08/2024 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था।

दिनांक 21/08/2024 तक 15 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन और सीएफडी प्राप्त हुए है और उनकी जांच की गई है। ई-मेल और अभ्यावेदन की पुनर्जांच ऑन-लाइन आवेदन, शैक्षणिक योग्यताएं और इसमें किए गए अनुभव संबंधित दावे, ओआरए में प्राप्त हुए समर्थित दसतेवजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों और मापदंडों के संदर्भ में की गई है। तदनुसार, परिणामी टिप्पणियां निम्नानुसार है।

अनंतिमता से संबंधित मेल				
क्रम.सं.	अनुक्रमांक	ई-मेल की संख्या	टिप्पणियां	प्रस्ताव
1.	11	01	प्रस्तुत किए गए दस्तावेज क्रम में है।	**अनंतिमता समाप्त कर दी गई है।**
एलईक्यू – क अस्वीकृति से संबंधित मेल				
2.	03,08,09, 13,19,23, 27,32,37, 45,47,50, 58	13	प्रस्तुत किए गए दस्तावेज (योग्यताओं से संबंधित) अ.यो.-क के अनुसार नहीं है।	**अस्वीकृति बरकरार रखी जाती है।**
एलईक्यू-ख अस्वीकृति से संबंधित मेल				
3.	25	01	अनुभव से संबंधित दावें संगत नहीं है।	**अस्वीकृति बरकरार रखी जाती है।**

5. तदनुसार, संवीक्षा निम्नानुसार अपरिवर्तित रखी जाती है।

<u>01 अ.जा. रिक्ति</u>
<u>मानदंड:</u> अ.यो.-क + अ.यो.-ख

<u>साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए</u>
<u>अनुक्रमांक:</u>

शून्य

<u>एलईक्यू-क</u>

<u>अनुक्रमांक:</u>

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

(27 उम्मीदवार)

02 अना.रिक्ति

मानदंड: अ.यो.-क + अ.यो.-ख

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए

अनुक्रमांक:

05 11 28

(03 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू-क

अनुक्रमांक:

01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26

27 29 30 31 32

(27 उम्मीदवार)

एलईक्यू-ख

अनुक्रमांक:

02 25

(02 उम्मीदवार)

इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

इस पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग के वेबसाइट पथ: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड कर दी गई है।

संकेतक:

एलईक्यू-क-अनिवार्य योग्यता – क में कमी।

एलईक्यू-ख-अनिवार्य योग्यता – ख में कमी।

परामर्शदाता/उप सचिव भ.-III